शोध-पत्र

भूमंडलीकरण के दौर में उदीयमान भारत के समक्ष आतंरिक सुरक्षा - एक चुनौती

दिनेश अहिरवार (शोध-छात्र)

राजनीति विज्ञान बुंदेलखंड विश्वविद्यालय, झांसी, उत्तर प्रदेश

E-Mail Id- dinesh929394@gmail.com

प्रस्तावना:-

भारत का वाह्य परिवेश जटिल और चुनौतीपूर्ण बना हुआ है। हम लोग न सिर्फ भूमंडलीकरण के दौर में भू-राजनैतिक संदर्भों में बल्कि भू-आर्थिक संबंधों में भी संक्रमणकालीन विश्व में रह रहे हैं जिसमें व्यापार वित्तीय प्रवाह वित्तीय प्रवृत्तियां जनसांख्यकीय बदलाव तथा वैश्विक अर्थव्यवस्था में भागीदारी के रूप मे शामिल हैं। भारतीय शासन की रूपरेखा के विकास से लोकतांत्रिक संभावनाओं के विस्तार के जरिए राज्य से की गई अपेक्षाओं के साथ तालमेल बनाए रखने के निरंतर प्रयास का पता चलता है। सरकार ने नई चिंताओं नए सहभागियों और नई ऊर्जाओं का समावेश करने का प्रयास किया है। भारत को हमेशा से ही अपनी विविधता और विजातीयता का प्रबंधन करना पड़ा है। इसका लोकतांत्रिक शासन निरंतर प्रतिस्पर्धा आकांक्षाओं के बीच सामांजस्य बिठाने की कला सीख रहा है और यह वार्ता प्रक्रिया से समृद्ध हुआ है। आंतरिक सुरक्षा पर हमें अपने सुरक्षा बलों को मजबूत बनाने के लिए नई तकनीकों की आवश्यकता है। साथ ही सीमा पार आतंकवाद से निपटने के लिए कड़े कानूनों की भी जरूरत है। आतंकवाद नक्सलवाद और सांप्रदायिक ताकतों को देश की आतंरिक सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा है तथा इनसे निपटने के लिए और अधिक प्रयासों की जरूरत है और सुरक्षा संबंधी विभिन्न चुनौतियों से सख्ती से निपटाया जाना चाहिए।

भारत की आतंरिक सुरक्षा व्यवस्था

जब किसी देश के नागरिकों में असुरक्षा का भाव हो तथा आंतरिक समस्याओं में उलझा राष्ट्र कभी भी प्रगति की राह पर आगे नही बढ़ सकता। विकासशील और नागरिकों के उन्नत जीवन भारत की आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था एवं उनकी चुनौतियों जैसे विषयों पर प्रशासन को ध्यान देने की जरुरत हैं। राष्ट्र की सुरक्षा विकास और गौरव को लेकर प्रशासन को शख्त कदम उठाने होंगे। आज भले ही हम कुछ क्षेत्रों में अग्रणी हो गये हो लेकिन बार-बार हमारी आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठते आए हैं । आज भारत के सामने नक्सलवाद और उग्रवाद बड़ी चुनौती बने हुए हैं। झारखंड में 21 जनवरी को नक्सलियों द्वारा घात लगाकर किए गए हमले में 13 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई। माओवादियों द्वारा जबरन उगाही रेल पटरियों को उखाड़ने पुलिसकर्मियों और जासूसी के संदेह में नागरिकों को मारने की घटनाएं अब सामान्य बात है। यही कारण है कि अब इनसे निपटने के लिए सेना की मदद लेनी पड़ रही है। सेना केंद्रीय पुलिस बलों को प्रशिक्षित कर रही है ताकि नक्सल विरोधी अभियानों को मजबूत बनाया जा सके।

आतंकवाद एवं उग्रवाद विरोधी कार्यो में विभिन्न राज्यों की पुलिस तथा अद्धसैनिक बलों में सेना के लोगों की तैनाती पर थलसेनाध्यक्ष की राय है कि आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की होती है, जिसके लिए वे पुलिस और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों को तैनात करते हैं। जब हालात पुलिस और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के काबू से बाहर हो जाते हैं तभी सेना को आतंकवाद और उग्रवाद विरोधी अभियानों में लगाया जाना चाहिए।

स्वतंत्र भारत की रक्षा समस्याये :- स्वतंत्रता पश्चात से अब तक भारत की मूल भूत रक्षा समस्याओ की विवेचना की जाये तो, हिमालय से हिन्द महासागर तक भारत की अपनी ऐतिहासिक विवषताओं का परिणाम है की अग्रेजी शासन के दौरान "भारत व पाकिस्तान" नाम से अगस्त 1947 में दो राष्ट्र विश्व में अस्तित्व में आये। हांलाकि इसके लिए भारत की मूल-भूत समस्याये अधिक जिम्मेदार रही है। गंतव्य है कि 562 देशीय रियासतों का एकीकरण स्वतंत्रता काल में भारत की प्रमुख आंतरिक समस्या रही थी, साथ ही बाह्य खतरों से भारतीय सीमाओं की सुरक्षा बेहद गंभीर समस्या के रूप में बनी हुयी थी। हांलाकि स्वतंत्रता उपरांत (1947-1962) तक पंडित नेहरु की अगुवाई में भारत ने बाह्य सुरक्षा की दृष्टि से बेहद सजगता दिखाई थी पर बफर राज्य (नेपाल) शक्ति संतुलन व प्रभाव क्षेत्र में कमजोरी ही थी कि 1962 भारत-चीन युद्ध का परिमाण भारत को अकेला झेलना पड़ा। 1962 भारत की पराजय का मुख्य कारण विभेदकारी नीतियां ही थी, इसके अतिरिक्त भारत की निम्नलिखित सुरक्षा समस्यायें थी -

- बंटवारे के कारण पैदा हुयी सुरक्षा समस्याये - जुनागढ, हैदराबाद व कश्मीर की समस्यायें।
- बंटवारे के समय साम्प्रदायिक दंगो के कारण उत्पन्न सुरक्षा समस्यायें ।
- भारत एवं पाक में क्षेत्रीय शक्ति के रूप में दम्भ भरने का आभाव, जिसकी वजह से हिन्द महासागर की समस्या हुई।
- भारत के पास रक्षा संसधानो की कमी तथा इसको आधुनिक बनाने हेतु संसधानो का आभाव होना।
- भारत के स्त्रातेजिक वातावरण में इस्लामिक पाकिस्तान तथा कम्मुनिष्ट चीन का उभारना जिससे धर्म निरपेक्ष एवं प्रजातान्त्रिक भारत के लिये इन राष्ट्रों के साथ शांतिपूर्ण सहअस्तित्व की भावना बनाना कठिन होना।

7 अगस्त 2013 एक खबर के अनुसार, पाकिस्तान की सेना ने मई 1990 से संघर्ष की शुरुआत की थी। ऐसा करके उसने भारत की आंतरिक सुरक्षा की चुनौतियों को बढ़ाने की कोशिश की थी। जिस समय इस रणनीति की शुरुआत हुई उस समय अफ़गानिस्तान की अंदरूनी स्थिति की वजह से भारत और पाकिस्तान के रिश्ते प्रभावित हो रहे थे। अब क़रीब 26 साल बाद अमरीका अफ़गानिस्तान से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है।

स्वतंत्रता पश्चात बड़ी समस्या देशीय रियासतों का विलय है इनमे जुनागढ, हैदराबाद व कश्मीर प्रमुख थे, जुनागढ, दक्षिणी भारत को छोडकर अन्य रियासतों/दिशाओ से घिरी हुयी रियासत थी। जुनागढ की भौगोलिक स्थिति की परवाह किये बगेर जुनागढ के नवाव ने रियासत को, पाकिस्तान में शामिल करने की मंशा जाहिर की, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान भी विभिन्न नकारात्मक गतिविधियों ने भारत को इस रियासत के प्रति शीघ्र कार्यवाही करने के लिये उत्तेजित कर रहा था, उक्त स्थिति को आकलित करते हुये भारत ने भी सैनिक गतिविधियों से जुनागढ की समस्या का समाधान किया। वही हैदराबाद की सीमा पर उत्तर-मध्यप्रदेश, पश्चिम में बम्बई प्रेसिडेंसी और पूर्व व दक्षिण में मद्रास प्रेसिडेंसी थी । निजाम ने राष्ट्रमंडल के सदस्य के रूप में डोमेनियन स्टेट प्राप्त कर एक स्वतंत्र राष्ट्र की हैसियत से शासन व्यवस्था स्थापित करनी चाही। नि:संदेह ही यह रियासत भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिये एक बड़ी समस्या होने जा रही थी, भारत की शांति सुरक्षा की नीति के माध्यम से व अवाम की इच्छा के अनुरूप "हैदराबाद रियासत" स्वतंत्र भारत का अंग बनी। और जहां

तक कश्मीर की बात है, तो यह "धरती का स्वर्ग" है, कश्मीर समस्या स्वतंत्र भारत के इतिहास से लेकर 'ज्यो की त्यों' है । 1947 में कश्मीर रियासत को भारत या पाक किसी एक के साथ विलय का विकल्प था, किन्तु वहां के महाराजा हरिसिंह अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाना चाहते थे, इसी बीच oct. 1947 में पाकिस्तान ने शसस्त्र कबायलियों द्वारा कश्मीर पर आक्रमण करा दिया। महाराजा हरिसिंह के पास भारतीय सहायता के मांग के अलावा, कोई विकल्प मौजूद नहीं था। भारत सरकार से हरिसिंह ने विलय की प्रार्थना भी की । भारत सरकार ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते ही युद्ध समाप्ति पर 'सनमत संग्रह' की शर्त के साथ अपनी सेना कश्मीर भेज दी, इस प्रकार कश्मीर भारत का अभिन्न अंग बन गया। इसी समय पाकिस्तान ने भारत के कश्मीर राज्य के एक हिस्से को जिसे POK कहा जाता है, पर कब्ज़ा कर लिया, अंततः भारत ने इस मुद्दे को UNO में उठाया, हालांकि भारत-पाक के बीच अब तक 19 शिखर वार्तायें हो चुकी है जिनमे '1972 शिमला-समझोता' '1999 लाहोर घोषणा पत्र' व '2001 में लाहोर शिखर वार्ता' प्रमुख रही । हालांकि वर्तमान स्थिति में 'कश्मीर समस्या' को दिउपक्षीय वार्ता द्वारा सुलझाने का प्रयास सरहरो के दोनों तरफ से हो रहा है, उम्मीद अभी भी बनी हुयी है ।

भारत बाह्य सुरक्षा की दृष्टि से -

1. China 2. Pakistan 3. Bangladesh 4. Nepal 5. Srilanka 6.USA व अन्य कारक है।

भारत-चीन 1962 - इस युद्ध की विभीषिका का परिणाम भारत के लिए नकारात्मक रहा, साथ ही 'पंचशील' के समझोते को गहरा आघात पंहुचा। आज भी मैकमोहन रेखा, तिब्बत-समस्या, तवांग समस्या, आर्थिक गतिविधिया, स्टेपल वीजा विवाद, ब्रह्मपुत्र नदी बांध आदि समस्याये मुंह बाये खडी है।

भारत-पाकिस्तान 1965,1971,1999 – भारत-पाक सहोदर देश है, स्वतंत्रता काल की भीषण परिस्तिथिया इनके अस्तित्व का आधार बनी। पाकिस्तान की नकारात्मक गतिविधियों के कारण ही दोनों देशो के बीच सीमओं पर सदा ही गर्माहट का माहोल रहता है, यही कारण है कि विभिन्न दौर की वार्ताओ के बाद शंसय कायम है- विवाद के बिंदु के रूप में - कश्मीर समस्या, सियाचिन विवाद, सिन्धु जल विवाद, बगलिहार परियोजना, तुलबुल परियोजना व सरक्रीक विवाद अदि उल्लेखित समस्याये रही है।

भारत-बंगलादेश - फरक्का बांध, न्यूमून दीप विवाद, तीनबीघा जमीन विवाद, गलियारा विवाद, चकमा शरणार्थीयों की समस्या, सीमा विवाद आदि के साथ तीस्ता नदी विवाद आदि पूर्वी भारत के लिए महत्वपूर्ण समस्याओ के केंद्र बिंदु रहे है।

भारत-श्रीलंका - तमिल समस्या के साथ, श्रीलंका द्वारा चीन जैसी महाशक्ति भारत की गतिविधियों पर नजर रखने के लिये ठिकाने देने से भारत की रक्षा-समस्या एक चिंता का विषय बनी हुयी है।

भारत-नेपाल - नेपाल के प्रति भारत का सीमा विवाद, महाकाली नदी परियोजना-विवाद और कला पानी विवाद के साथ नेपाल, भारत के प्रति बफर स्टेट की भूमिका से नयी समस्याओ को बल मिला। इसके साथ ही भारत की महाशक्तियो के प्रति राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर अनेक विवाद अस्तित्व में आये है जैसे अमेरिका के प्रति वीजा समस्या अदि है।

भारत आंतरिक सुरक्षा की दृष्टि से- सम्प्रदयिकता, क्षेत्रवाद , भाषावाद, जातिवाद, आतंकवाद, नक्सलवाद, जनजातीय विद्रोह और राजनितिक अवमूल्यन।

सम्प्रदायकता - स्वतंत्र भारत को सम्प्रदायिकता विरासत में मिली है, बटवारे के दंगे, 1984 के सिक्ख दंगे, 1992 अयोध्या कांड, 2002 गुजरात दंगे, 2009 कंघमाल दंगे आदि ने देश को शर्मसार किया है, साम्प्रदायिक समस्या जब भी ज्यो की त्यों है।

क्षेत्रवाद -

1. भाषायी आधार।
2. खालिस्तान, कश्मीर, असम व नागालैंड के रूप में प्रथ्थकतावादी आन्दोलन।
3. झारखंड, छत्तीसगढ़, उत्तरखंड व विदर्भ के लिए अलग राज्यों की मांग।
4. विशेष पौकओं की मांग।
5. जल तथा सीमा विवाद।

भाषावाद-

भारतीय संविधान में 'हिंदी' को राष्ट्रभाषा घोषित किये जाने के वावजूत भी सम्पूर्ण भारत में इसी व्यव्हारिक मान्यता नही मिल पायी है। दक्षिण व पुवोत्तर भारत में हिंदी भाषा को लेकर न केवल रोष है अपितु कई हिंसक आन्दोलन भी हो चुके है आंध्रप्रदेश भारतीय आधार पर अलग होने वाला प्रथम राज्य भी बना।

जातिवाद -

जाति जन्म से जुडी हुयी होती है जो कभी नहीं जाती। जाति मनुष्य के साथ जीवन पर्यंत बनी रहती है सामाजिक न्याय व दलित उत्थान हेतु 'मंडल कमीशन' की सिफारिशो को लागु करने तथा जातिगत आरक्षण हेतु देश की कई राज्य सरकारों ने भारतीय सामाजिक व्यवस्था को झकझोर कर रख दिया, वोट की राजनीति ने भी जाति जैसे शब्द को उभारा ही है ।

आतंकवाद-

आतंकवाद- आतंकवाद आज भारत की समस्या ही नहीं अपितु संपूर्ण विश्व की समस्या है, देश का शांतिपूर्ण माहोल बिगाड़ने में पाकिस्तान की गुप्तचर एजेंसी ISI, बांग्लादेश की ISS व सऊदी अरब की International Islamic Relief Organisation जैसे संगठनों की भूमिका रही है । Assam में ULFA, BODO का ISI का खुला समर्थन प्राप्त है। कुछ आतंकी घटनाये जैसे- Delhi high court bum blast, बम्बई कांड, भारतीय संसद पर हमला और कांधार विमान अपरहण आदि मुख्य रहे है।

नक्सलवाद-

हिंसक नक्सलवाद आज पूर्वी व मध्य भारत की प्रमुख समस्या है नक्सलवाद से Bihar, Bengal, Chhattisgarh, Orissa, Andhra Paradesh आदि राज्य प्रभावित है । नक्सलवादियों की अपनी मूल-भूत समस्यायों जैसे-भूमि, शोषण, गरीबी आदि ने भारत को गहरे अर्थो में प्रभावित किया है।

जनजातीय विद्रोह-

भारत में करीब 550 विभिन्न जनजातीया है इनमे भील, गोंड, कोरकू, खासी, कोरबा, नामा आदि प्रमुख है। इन जनजातियी समुदायों का पारस्परिक टकराव तथा दयनीय आर्थिक सामायिक, सांस्कृतिक व राजनितिक समस्याये राष्ट्र की आंतरिक शांति को किसी न किसी रूप में प्रभावित कर रही है।

इन विद्रोह के समाधान हेतु सरकार के लिये आवश्यक है कि जंगली समुदाय की मनोदशा को समझा जाये तथा ऐसी योजनाओ व गतिविधियों से बचना चाहिए जो इनकी संस्कृति व रीति-रिवाजो पर कुठारघात करती हो। शिक्षा के माध्यम से इन्हें विकास की मुख्य धारा में लाकर आम जन-जीवन के साथ सामजस्य बिठाया जाये।

राजनितिक अवमूल्यन -

मुल्यविहीन, अवसरवादी व रष्ट्र विरोधी राजनीति ने देश के सभी पहलुओ को नितांत खोखला, व संवेदनशील बना दिया है । वोफोर्स, 2G स्पेक्ट्रम, कोयला घोटाला जैसे बड़े कांड, आम भारतीय राजनीति तंत्र के लिए आये दिन की सामान्य घटनाये बनती जा रही है। बोहरा समिति रिपोर्ट में यह कहा गया है कि राजनीतिक नौकरशाह तथा अपराधियों के ठिकानों ने सम्पूर्ण देश को बंधक बना लिया है। भारतीय राजनीति का हो रहा अपराधिक ने एक ऐसी स्थिति उत्पन्न कर दी है जिससे ' राष्ट्रीय एकता व अखंडता' को गहरा आघात पंहुचा है।

सुझाव आपेक्षित है कि अपराधियों का राजनीतिकरण न हो इसके लिये आवाश्क है कि कानून बनाकर उनको रजनीति में आने से रोका जाये, साथ ही साथ घोटालों की निष्पक्ष जाँच के लिये लोकपाल बिल को दोनों सदन में मंजूरी दी जाये तथा CAG व निर्वाचन आयोग की तर्ज पर CBI को स्वतंत्र निकाय बनाया जाये।

अन्यकारक-

इसके अतिरिक्त भारत की जनसंख्या में हो रही बेतहाशा वृद्धि, गरीबी अशिक्षा, बेरोजगारी तथा घूसखोरी जैसे अन्य सामाजिक व आर्थिक कारक भारत के आंतरिक ढांचे को कमजोर करते जा रहे है।

पर्याप्त सुरक्षा हेतु जहां एक ओर राष्ट्रीय एकीकरण की आवशकता होती है वही दूसरी ओर अपनी सामरिक क्षमता को इतना सुद्रढ बनाना होता है जिससे कि उत्पन्न संभावित खतरों का समुचित जवाव देने के साथ-साथ उन्हें निष्क्रिय बनाया जा सकें।

भारत पाकिस्तान के बीच 'कश्मीर विवाद' दोनों देशो के लिये सामरिक एवं राजनितिक चुनोती है - उत्तर में भारत का स्वर्ग 'कश्मीर' एक ऐसी रियासत थी जो ब्रिटिश दौर की समाप्ति के पश्चात् स्वतंत्र राष्ट्र निर्माण का स्वप्न देख रही थी। भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 स्वतंत्र कश्मीर के निर्माण का विषय था। कश्मीर का राजनितिक अस्तित्व पहली वार ईस्ट इंडिया कम्पनी और राज्य के महाराजा 'गुलाब सिंह' के बीच हुये 'अमृतसर समझोते' के अन्तर्गत सुनिश्चित हुआ था।

कश्मीर समस्या का इतिहास भारत विभाजन के साथ शुरू हुआ। 1947 को कश्मीर रियासत के पास भारत या पाकिस्तान किसी एक के साथ विलयक विकल्प था, किन्तु वहां के महाराजा हरिसिंह अपने साम्राज्य का स्वतंत्र अस्तित्व कायम रखना चाहते थे, इसी बीच Oct. 1947 में पाकिस्तान ने पश्चिमी सीमा प्रान्त के कबायलियो को कश्मीर में घुसपैठ करने और ताबरतोड़ कार्यवाही के लिये प्रोत्साहित किया। 20 Oct. 1947 को इन्होने कश्मीर पर आक्रमण कर दिया, कबायलियो की आड़ में लगभग 20000 पाकिस्तानी सेनिको ने भी ब्रेनगन, ग्रेनेड व स्टेनगन आदि के साथ कश्मीर पर हमला बोल दिया। महाराजा हरिसिंह के पास भारतीय

सहायता की मांग के अलावा कोई भी विकल्प मौजूद नहीं था। भारत सरकार से हरिसिंह ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिये। विलय पत्र पर हस्ताक्षर के बाद युद्ध समाप्ति पर 'जनमत संग्रह' की शर्त के साथ अपनी सेना अपनी सेना कश्मीर भेज दी, इस प्रकार संवेधानिक रूप से 'जम्मू कश्मीर' भारत का अंग बन गया।

इसी समय पाकिस्तान ने, भारत के कश्मीर राज्य के एक हिस्से जिसे POK कहा जाता है पर कब्ज़ा कर लिया। इस स्थिति में विलय पत्र की शर्त के अनुरूप भारत सरकार ने अपने दयित्वो का पालन कर पाकिस्तानी सेनाओ को पीछे धकेल दिया, मेजर सोमनाथ शर्मा जैसे कमान्डरो की अगुवाई में भारतीय सेना ने अदम्य साहस का परिचय दिया।

1st Sept. 1949 को कश्मीर में युद्ध विराम की घोषणा की गयी यह युद्ध विराम CFL (Cease Five Line) कहलायी। युद्ध विराम की स्थिति में 32000 वर्ग मील कश्मीर पाकिस्तान के अधिकृत क्षेत्रों में रह गया, जिसे वर्तमान में - 'आजाद कश्मीर' की संज्ञा दी गयी। शांति समझोते के लिए सुरक्षा परिषद् ने December 1949 को 'मैकनॉटन योजना' 1950 डिक्सन योजना, 1951 में ग्राहम मिशन अस्तित्व में आया, समझोते के लिये निम्नलिखित आधार बनाये गये -

1. पाकिस्तान अपनी सेनाये कश्मीर से हटाये और कबालियो और विदेशियों, जो गैर - क़ानूनी तरीके से कश्मीर में घुस चुके है और पाक की सहायता प्राप्त कर रहे है, उन्हें वहां से निकाले।
2. सेनाओ द्वारा खाली किये गये क्षेत्रों का प्रबंध स्थानीय अधिकारी आयोग के निरिक्षण में करे।
3. अब पाकिस्तान उपयुक्त शर्तो को पूरा कर दे तो भारत भी अपनी सेनाये वहां से हटा दे।
4. युद्ध विराम के काल में भारत, स्थानीय प्रशासन के सहयोग हेतु ही अपेक्षित सेनाये रखे।

शुरुआती दौर में भारत 'जनमत संग्रह' के लिये तैयार था। परन्तु UNO की इस शर्त पर कि जनमत संग्रह तब होगा जब पाकिस्तान अपनी सेना हटा लेगा। इस शर्त पर कि जनमत संग्रह तब होगा जब पाकिस्तान अपनी सेना हटा लेगा। इस शर्त द्वारा UNO ने कश्मीर के मुद्दे को सदा के लिये विवादास्पंद बने रहने का मौका दे दिया, परन्तु सुरक्षा परिषद कश्मीर विवाद पर अब तक कोई स्थायी समाधान नही ढूंढे सकी। निश्चित रूप से यह समस्या अब तक दोनों देशो के संबधों को विषाक्त बनाये हुये है। पाकिस्तान लेखको का कहना है कि "यही दिल्ली में कश्मीर सम्मान या सिधांत का प्रश्न है तो रावलपिंडी के लिये यह जीवन-मरन का प्रश्न बना हुआ है।"

कश्मीर विवाद पर भारतीय दृष्टिकोण -

1. कश्मीर का भारत में वैधानिक विलय
2. पाकिस्तान की आक्रामक कार्यवाही
3. पाकिस्तान द्वारा सुरक्षा परिषद के निर्णय की अवहेलना
4. सीधी वार्ता का आभाव
5. आत्मनिर्णय का प्रश्न
6. पंथनिरपेक्ष राज्य

कश्मीर पर, भारत के दावे का आधार महाराजा हरिसिंह द्वारा भारत के साथ विलय पत्र पर हस्ताक्षर करना रहा है तो दूसरी ओर भारत अपने आपको पंथनिरपेक्ष राज्य मानता है। साथ ही कश्मीर एक बहुधार्मिक क्षेत्र है जहा मुस्लिम के अतिरिक्त हिन्दू तथा बोद्ध भी निवास करते है। "द्ईराष्ट्रवादी सिधांत" जिसके आधार पर पाकिस्तान का निर्माण हुआ था वह भारत को स्वीकार नही है और एक तथ्य यह भी है कि भारत ने स्पष्ट किया है कि पाकिस्तान 'सीमा पर' आतंकवाद को बढावा देता है अतः अब 'जनमत संग्रह' कराना संभव नही।

कश्मीर विवाद पर पाकिस्तानी दृष्टिकोण -

1. द्ईराष्ट्र का सिंधांत
2. यथास्थिति समझोता
3. असंवेधानिक
4. समझोते का अस्थायी रूप
5. शक्ति व धोकेबाजी का परिणाम

पाकिस्तान का मत है कि महाराजा हरिसिंह ने पाकिस्तान के साथ एक यथास्थिति समझोता किया था, इस आशय से वह कश्मीर का भारत में विलय स्वीकार नहीं करता। पाकिस्तान का यह भी कहना है कि कश्मीर लोग भारत के साथ नहीं रहना चाहते, वे या तो क्पकिस्तान में रहना चाहते है या फिर एक स्वतंत्र राष्ट्र चाहते है। पाकिस्तान का यह भी मत है कि पाकिस्तान का निर्माण 'द्ईराष्ट्र सिंधांत' के आधार पर हुआ, अतः कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा बनाया जाना चाहिए। पाकिस्तान 'जनमत संग्रह' के सिधांत को भी स्वीकार करता है।

कश्मीर विवाद के चलते भारत-पाक के बीच अब तक चार युद्ध Oct 1947, 1965, 1979 और 1999 का कारगिल युद्ध। इन युद्ध से भारत-पाक के बीच अविश्वसनीय कटुता, आर्थिक जर्जता व आम जनमानस के बीच संदेहस्पद माहोल पनपा है।

शांति बहाली के लिए किये गये प्रयास –

ऐसा नही है कि भारत-पाक के बीच शत्रुतापूर्ण माहोल सदा ही विद्यमान रहा हो और कश्मीर विवाद का शांतिपूर्ण हल ढूढने का प्रयास न किया गया हो, इसके लिये अनेक शांति वार्ताए अस्तित्व में आयी जिसमे 1965 का ताशकंद समझोता, 1972 शिमला समझोता, व 2009 में आगरा शिखर वार्ता आदि ने दोनों देशो के बीच क्रिकेट के मैदानो से दुनिया को शांति का पैगाम दिए जाने का प्रयास अब भी जारी है ।

इसके अतिरिक्त दोनों देशो ने शांति बहाली के लिए कई प्रयास किये है - रेलसेवा, थर एक्सप्रेस समझोता, सयुक्त आतंकवाद विरोधी प्रक्रिया, बंदियों की रिहाई (हाल ही में सबरजीत सिंह की रिहाई), पाइपलाइन परियोजना आदि के साथ दोनों देशो ने एक दुसरे को (Most Favouri Nation) सर्वाधिक मित्र राष्ट्र का दर्जा, बीजा व्यापार में वृध्ही के लिए SAFTA की प्रणाली को कुशल बनाने में, सहमती से शांति स्थापित करने के लिए नए आयाम गड़े जा रहे है।

2008 मुंबई आतंकी हमले ने दोनों के बीच आपसी संबंधो में गर्माहटता ला दी है और कश्मीर विवाद सहित दोनों के बीच सभी तरह की वार्ताओ का दौर लगभग बंद हो चुका है अतः समस्या के समस्या के समाधान के लिए निम्नलिखित सुझाव अपेक्षित है -

1. समस्या का सेनिक तरीके से समाधान
2. दोनों देशो के बीच शांति समझोते तथा विभिन्न दौर की वार्ताए ही एक मात्र वार्ता
3. भारतीय संविधान के अंतर्गत लोकतान्त्रिक प्रक्रिया के तहत समाधान

इनमें से कुछ तथ्य न्यायोचित नही है । कश्मीर विवाद का एकमात्र हल लोकतान्त्रिक प्रक्रिया है अतः दोनों देशो के लिए आवश्यक है कि युद्ध व कुटनीति को दरकिनार कर शांति पूर्ण वार्ताओ से समस्या समाधान के लिए प्रयासरत रहे क्यों कि इस बात से दुनिया भलीभाती परिचित है कि 'युद्ध से कभी किसी को लाभ नही होता अपितु दोनों पक्षों को हानि ही होती है।'

अतः आवश्यक है, कि इस क्षेत्र में शांति स्थापित कर विकास के नये आयाम सुलभ कराये जाये आज 29 वी सदी में मुख्यतः आवश्कता है आर्थिक स्तर पर ऊँचा उठने की। भारतीय विदेशमंत्री एम. एस. कृष्णा व पाकिस्तान की नवनिर्वाचित विदेशमंत्री हिना खवानी इसी दिशा में आगे बढ रहे है। एम. एस. कृष्णा की पाकिस्तान यात्रा का मुख्य ध्येय दोनों देशों के प्रगाढ संबंधो को एक नयी दिशा देना है और विश्व विरादरी ने इस यात्रा का तहेदिल से स्वागत भी किया है।

भारत-पाकिस्तान ने विश्वास वहाली के लिये और भी कई प्रयास किये है, जिनमे स्वास्थ सेवाओं का विस्तार, तटरक्षको के बीच सुद्रढ संबंधी की स्थापना, राजनयिक संबंधो को सुद्रढ बनाने का प्रयास, प्रेक्षपास्त्रो अथवा परमाणु परीक्षण की पूर्व सुचना आदि साथ ही person to person डिप्लोमेसी के माध्यम से लोगो को भावनात्मक स्तर पर जोड़ा है। इसके अलावा treck-2, treck-3, treck-4 के माध्यम से क्षेत्रीय शांति सुरक्षा एवं स्वामित्व का प्रभाव जारी है।

स्वतंत्र के बाद भारत की प्रमुख आंतरिक समस्याओं का जिक्र कर उनके निवारण हेतु सुझाव -

हिमालय से हिंदमहासागर तक फैलाभारत अपने व्यक्तित्व के प्रारंभिक दौर से ही अपने आगोश में अनेक सम्स्याये एवं चुनोतियो के साथ 15 अगस्त 1947 को अवतरित हुआ। भारत दुनिया का एक ऐसा विशिष्ट देश है, जिसमे भिन्न - भिन्न धर्मो व जातियों के लोग निवास करते है, जिनकी एक अलग सभ्यता एवं संस्कृति है यहाँ भाषा की विविधता के साथ-साथ भोगोलिक परीस्थितिया एवं रहन सहन में भी स्पष्ट अनेकता दिखती है । इतना ही नही क्षेत्रवाद , भाषावाद, जातिवाद, आतंकवाद, नक्सलवाद, जनजातीय विद्रोह, राजनितिक अवमूल्यन, निर्धनता और श्रमिको के विवाद आदि ऐसे भयनक क्षय रोग है जो राष्ट्रीय अखंडता को खोखला कर रहे है।

स्पष्ट है कि की राष्ट्रीय सुरक्षा की द्रष्टि से किसी रास्त्र के डो ही तत्व द्रिष्टिगोचार होते है -

1. बाह्य सुरक्षा
2. आंतरिक सुरक्षा

A. आंतरिक सुरक्षा के संबंध में तत्कालीन आजाद भारत की सुरक्षा समस्याये-

जुनागड़, हैदराबाद व कश्मीर को लेकर सुरक्षा समस्याये।

B. आंतरिक सुरक्षा के संबंध में आजादी के बाद से लेकर अब तक की सुरक्षा समस्याये -

स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत ने अपनी धरती से उपनिवेशवाद की समाप्ति का बीड़ा उठाने का संकल्प लिया 1954 में फ्रांस ने उपनिवेश भारत की हस्तान्तित कर दिया, पर इसके विपरीत 1969 में गोवा, दमनदीप, दादर नगर हवेली के पुर्तगाल से युद्ध नीति से आजाद कराया। 1962 में भारत के 'पंचशील सिधांत' को दर किनार कर भारत के बहुत बड़े भू-भाग पर कब्ज़ा कर लिया, जिनमे अक्साई चीन, अरुनाचाल प्रदेश शामिल थे।

देश के भीतर समस्याये अब नया रूप लेने लगी, रवालिस्तान की मांग को लेकर चलाये गये opration blue star से सिख्खो की धार्मिक भावनाओ को बहुत अघात पंहुचा 'सिक्ख दंगे' इसी आघात के परिणाम की उपज है।

C. आंतरिक सुरक्षा के अन्य कारक एवं सुझाव -

1. सम्प्रदयिकता,
2. क्षेत्रवाद,
३. भाषावाद,
4. जातिवाद,
5. आतंकवाद,
6. नक्सलवाद,
7. जनजातीय विद्रोह,
८. राजनितिक अवमूल्यन।

सम्प्रदयिकता - स्वतंत्र भारत को सम्प्रदयिकता, विरासत में मिली है- बटवारे के दंगे, 1984 सिक्ख दंगे, 1992 अयोध्याकांड, 2002 गुजरात दंगे, 2009 कंधभालदंगे ने भी देश को शर्मसार किया है और आज भी सम्प्रदायिक समस्याये ज्यो की त्यों है। अतः इस समस्या से निजात पाने के लिये आवश्यक है ।

जातिवाद - 'जाती जन्म से जुडी हुयी है जो कभी नहीं जाती अर्थात जीवन पर्यंत वह मनुष्य के साथ रहती है। ' सामाजिक न्याय व दलित उत्थान हेतु मंडल कमीशन की सिफारिशे लागू करने तथा जातिगत आरक्षण हेतु देश की कई राज्य सरकारों ने 'भारतीय सामाजिक व्यवस्था' को झगझोर कर रख दिया। 'वोट' को राजनीति ने भी जाति शब्द को उभारा ही है ।

आतंकवाद - आतंकवाद आज भारत की समस्या ही नहीं अपितु संपूर्ण विश्व की समस्या है, देश का शांतिपूर्ण माहोल बिगाड़ने में पाकिस्तान की गुप्तचर एजेंसी ISI, बांग्लादेश की ISS व सऊदी अरब की International Islamic Relief Organisation जैसे संगठनों की भूमिका रही है । Assam में ULFA, BODO का ISI का

खुला समर्थन प्राप्त है। कुछ आतंकी घटनाये जैसे- Delhi high court bum blast, बम्बई कांड, भारतीय संसद पर हमला और कांधार विमान अपरहण आदि मुख्य रहे है ।

आतंकवाद पर नियंत्रण रखने के लिए जरुरी है कि आतंवादियों पर लगातार दवाव बनाकर तथा उनकी गतिविधियों पर नजर रखकर घुसपैठ को रोका जाये इसके साथ ही RAW, IB तथा सैनिक Intelligence को चुस्त दुरुस्त बनाया जाये।

नक्सलवाद - हिंसक नक्सलवाद आज पूर्वी व मध्य भारत की प्रमुख समस्या है नक्सलवाद से Bihar, Bengal, Chhattisgarh, Orissa, Andhra Paradesh आदि राज्य प्रभावित है । नक्सलवादियों की अपनी मूल-भूत समस्यायों जैसे-भूमि, शोषण, गरीबी आदि ने भारत को गहरे अर्थो में प्रभावित किया है।

उपरोक्त समस्याओ के समाधान के लिये आवश्यक है कि देश में ओद्योगिकीकरण, उदारीकरण को बढावा दिया जाये साथ ही लोगो का नैतिक स्तर ऊपर उठाने के लिये आवाश्क है कि शिक्षा का स्तर व दायरा बढाया जाये क्योंकि 'शिक्षित समाज ही एक समाज का दर्पण है।' अतः भारत जब तक आंतरिक रूप से एक नहीं होगा तब तक बाह्य रक्षा व सुरक्षा की संकल्पना अर्थहीन ही रहेगी।

<u>भूमंडलीकरण के दौर में उदीयमान भारत</u>

2014 में प्रथम विश्व युद्ध की घटना के 100 साल पूरे हो चुके है और पुनः विश्व व्यवस्था की ओर ध्यान आकर्षित किया जा रहा है। समकालीन विश्व व्यवस्था में कई तरह के उथल-पुथल जारी हैं। इनमें से कई का संबंध वैश्वीकरण की प्रक्रियाओं से भी है। वैश्वीकरण ने लाखों लोगों को गरीबी से बाहर करने में अपनी भूमिका निभाई है। लोगों एवं राज्यों की विविधता एवं परस्पर विरोधी हितों एवं मूल्यों के बावजूद भी यह तेजी से एकीकरण एवं अंतर्संबद्धता के लिए दबाव डाल रहा है। परिणामस्वरूप देशों एवं सरकारों तथा उनके नागरिकों के बीच विश्वास का स्तर चिंताजनक होता जा रहा है। इससे अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा एवं समृद्धि को भी खतरा पहुँच सकता है।

- **1980 के दशक से वर्तमान तक उदीयमान भारत एवं भूमण्डलीकरण का दौर -** इससे पहले कि भूमण्डलीकरण की प्रक्रिया का एक संक्षिप्त ब्यौरा दें एक जरूरी पहलू की तरफ ध्यान दिलाना जरूरी है। **1945** से **1973** तक का दौर विश्व पूँजीवाद के लिए आखिरी तेजी का दौर था। इसके बाद भूमण्डलीकरण की नीतियों ने वित्तीय पूँजी का अभूतपूर्व भूमण्डलीकरण कर पूँजी को कुछ समय के लिए साँस लेने की जगह तो प्रदान की है लेकिन कभी भी कोई तेजी का दौर देखने में नहीं आया। भूमण्डलीकरण के दौर की नीतियों के प्रमुख तत्व थे निजीकरण, उदारीकरण, पूँजी के वैश्विक प्रवाह से सभी बाधाओं को हटाते जाना, राज्य के सार्वजनिक व्यय में भारी कटौती करके हर प्रकार के विनियमन को समाप्त करना, श्रम कानूनों को ढीला करते हुए श्रम बाजार को लचीला बनाना, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की खुली छूट देना, तरल विनिमय दरों की स्थापना करना जिससे कि वित्तीय पूँजी का विनियमन समाप्त हो सके, निम्न ब्याज दरें, और राष्ट्रीय बाजार को पूरी तरह खोल देना।
    - **निष्कर्ष -**
    - किसी भी राष्ट्र की सुरक्षा में बाहर के दुश्मनों से निपटना जितना जरुरी होता है इतना ही आवश्यक है आंतरिक चुनौतियों से निपटना। एक राष्ट्र राज्य तभी समक्ष बनता है जब बाह्य के साथ आंतरिक सुरक्षा को भी पुख्ता बनाता है। बात भारत जैसे देश की हो तो यहां आंतरिक सुरक्षा की चुनौतियां

काफी प्रबल है। आंतरिक सुरक्षा राष्ट्रीय सुरक्षा का एक अनिवार्य अंग है। यह कानून व्यवस्था, लोगों की संपत्ति सुरक्षा तथा राष्ट्र की एकता और अखंडता से जुड़ा हुआ है। लोगों के मौलिक अधिकार और मानव अधिकार सुरक्षित रखने के लिए भी आंतरिक सुरक्षा का मजबूत होना जरुरी है। वर्तमान में आतंकवाद, नक्सलवाद, शत्रुवाद और भ्रष्टाचार देश के लिए गंभीर चुनौतियां है। भारत में आतंकवादी गतिविधियां, नृजातीय संघर्ष, धार्मिक कट्टरता, सांप्रदायिक दंगे, कश्मीर समस्या आदि आंतरिक सुरक्षा के लिए बड़े खतरे के रुप में सामने आये है। लेकिन इस ओर जितने प्रयास किये जाने की जरुरत थी वह वर्तमान सरकार भी करने में असफल रही है। इसलिये सवाल उठता है कि आंतरिक सुरक्षा को पुख्ता व मजबूत बनाये जाने के लिए सरकार द्वारा किये गये प्रयास क्या है और वह कितने असरदार है। आंतरिक सुरक्षा को दुरूस्त करने के मार्ग में क्या बाधायें है और उनका समाधान कैसे संभव है तथा आंतरिक सुरक्षा राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए कितना अनिवार्य है।

- किसी भी राष्ट्र की सुरक्षा नीति तीन महत्वपूर्ण लक्ष्य सामने रखकर बनायी जाती है- पहला देश की संप्रभुता की रक्षा करना, दूसरा क्षेत्रीय एकता और अखंडता बनाये रखना, तीसरा देश में आंतरिक शांति बनाये रखना। सच यह है कि स्वतंत्रता के बाद से ही भारत आंतरिक चुनौतियोे के मोर्चे पर कई समस्याओं से जूंझ रहा है। समाज एवं राष्ट्र विरोधी तत्वों द्वारा अपने निहित स्वार्थ की पूर्ति के लिए संगठित रुप से अव्यवस्था और असंतुलन का माहौल निर्मित किया गया। आंतरिक सुरक्षा के कमजोर होने का मतलब है देश के लॉ एन ऑर्डर का कमजोर होना। यह विधि के शासन के समक्ष एक चुनौती है। इससे राष्ट्र की छवि पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश भी प्रभावित होता है। इसलिए यह जानना आवश्यक है कि आंतरिक सुरक्षा के प्रबंधन की क्या खामियां है। इस संदर्भ में अनेक बातें दिखायी देती है जो इस तरह है- पहली खामी है दीर्घकालिक नीतियों का अभाव होना। किसी भी समस्या के समाधान के लिए दीर्घकालिक नीति का रेखाकंन जरुरी है। फिर उसी के अनुसार वर्तमान परिप्रेक्ष्य को देखते हुए दीर्घकालिक नीतियां बनायी जाती है। लेकिन भारत सरकार के पास कश्मीर समस्या के लिए कोई दीर्घकालिक नीति नहीं है। इसी प्रकार माओवादी हिंसा से निपटने के लिए भी सरकार की कोई स्पष्ट दृष्टि नहीं दिखायीं देती है। यह एक बड़ी खामी है। दूसरा खामी है अपेक्षित पुलिस सुधार का न होना। अधिकांश राज्यों में पुलिस पुरातन व्यवस्था के अनुपालन को मजबूर है। उसकी ट्रेनिंग से लेकर हथियार तक अत्याधुनिक नहीं होते। दरअसल आज हालात ऐसे है की बाहरी एवं आंतरिक सुरक्षा मे भेद करना मुश्किल है जहाँ बाह्य सुरक्षा का सम्बन्ध देश की विदेशनीति से सम्बंधित था, वहीँ आंतरिक सुरक्षा घरेलू नीति से सम्बंधित था | हमारी सुरक्षा को सही मायने मे सुरक्षित करने के लिए प्रशाशन के साथ साथ प्रत्येक नागरिक को भी कदम उठाने होंगे तभी एक सुरक्षित भारत की कल्पना की जा सकती है आतंकवाद और नक्सलवाद भारतीय सुरक्षा बलों के लिए तो अभिशाप बन ही गए हैं, इनसे आर्थिक विकास भी सीधे तौर पर प्रभावित हो रहा है। जहां तक आतंकवाद की बात है तो जम्मू कश्मीर में चल रहे अलगाववादी आंदोलन से उसे ताकत

मिल रही है। कश्मीर में एक बड़ा समूह ऐसा है, जो भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल है। उन्हें भटके हुए जवान बता कर सरकार असली खतरे से आंख नहीं मूंद सकती है। उनकी वजह से आतंकवादियों को घुसने, शरण लेने, खुफिया जानकारी हासिल करने और सुरक्षा बलों पर हमला करने का मौका मिलता है। घाटी के लोग ही उन्हें सारी मदद मुहैया कराते हैं। अगर सीमा पार से होने वाली घुसपैठ और आतंकी वारदातों को रोकना है तो कश्मीर घाटी में हर कीमत में शांति बहाली करानी होगी।